सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 25/7/95-प्रेस दिनांक 16/11/95 का अनुलग्नक

पत्र सूचना कार्यालय के मनोरंजन अनुदान को नियंत्रित करने से संबंधित नियमावली

1. यह अनुदान सरकारी प्रचार हेतु विदेशी तथा भारतीय संपादकों, संवाददाताओं, अन्य वर्ग के पत्रकारों आदि के आतिथ्य के लिए है ।

2. इस उद्देश्य के लिए पत्र सूचना कार्यालय के नियमित बजट के अधीन उपशीर्ष "अन्य प्रशासनिक खर्चें" या इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अन्य लेखाशीर्ष द्वारा, उपलब्ध कराए गए फंड को इसमें शामिल करके प्रतिवर्ष इसके लिए व्यवस्था की जाएगी ।

3. यह अनुदान महानिदेशक (मी.एवं सं.) द्वारा संचालित किया जाएगा तथा उनके पूर्व अनुमोदन के बिना इस अनुदान से कोई खर्च नहीं किया जाएगा । इस संबंध में तत्काल खर्च को पूरा करने के लिए उन्हें लेखागत अग्रिम मंजूर करने की शक्ति प्राप्त है । आकस्मिक व्यय बिल जिसके द्वारा खजाने से फंड निकाले जाते हैं, के साथ होटल, क्लब आदि से प्राप्त विस्तृत वाउचर लगाए जाएंगे तथा इसके साथ इस नियमावली के अंत में दिए गए फार्म में प्रमाण पत्र भी लगाना होगा ।

4. यदि, अतिथि सत्कार ऐसे क्लब में आयोजित किया जाता है जो सिर्फ उनके सदस्यों तथा उनके अतिथियों के लिए खुले होते हैं तो महानिदेशक (मी0एवं सं0) के द्वारा उनकी तरफ से खर्च करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी क्लब में हुए खर्च का बिल प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ विस्तृत वाउचर भी लगाए जाएंगे, जिन्हें महानिदेशक (मी0एवं सं0) के प्रतिहस्ताक्षर के बाद आकस्मिक बिल के साथ लगाया जाएगा । भुगतान के समय उस अधिकारी से उचित रसीद ली जानी चाहिए ।

5. नियम 9 के अनुसार, यदि, अतिथि सत्कार किसी अधिकारी के आवास पर आयोजित किया जाता है और यदि भुगतान के समर्थन में वाउचर लगाना संभव न हो तो उस अधिकारी द्वारा किए गए खर्च का पूरा ब्योरा (जिसमें अतिथियों की संख्या भी शामिल है) एक प्रमाण पत्र में देने पर, जैसा कि खजाना नियमावली, भाग-I के नियम 206 के अधीन आवश्यक है, खर्चे की प्रतिपूर्ति हो जाएगी ।

6. जब अतिथि सत्कार ऐसी जगहों पर किया जाता है, जहां भोजन के बिलों में टिप देना शामिल नहीं होता, उस स्थिति में कुल अतिथि सत्कार प्रभार के अधिकतम 10% तक की राशि टिप में दी जा सकती है ।

7. अतिथि सत्कार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अवसरों पर आमंत्रित अतिथियों की संख्या के बारे में महानिदेशक (मी0एवं सं0) द्वारा निर्णय लिया जाएगा । तथापि, इसकी संख्या दोपहर का भोजन (लंच) और रात्रि का भोजन (डिनर) के लिए 70 तथा स्वागत (रिसेप्शन) के लिए 100 से अधिक नहीं होगी । महानिदेशक (मी.एवं सं.) बजटीय सीमा को ध्यान में रखते हुए आमंत्रितो

की संख्या कम से कम रख सकते हैं । इस व्यय को कम से कम रखते समय इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि मनोरंजन की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए ।

8. (1) व्यय की प्रति व्यक्ति न्यूनतम सीमा भारतीय पर्यटन विकास निगम, अशोक होटल द्वारा समय-समय पर वैसे ही अथवा एक समान मैन्यू तथा अन्य मदों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार होगी ।

(2) सामान्यतया मदिरा तथा धूम्रपान नहीं दिए जाने चाहिए । लेकिन यह तब दिया जा सकता है जब महानिदेशक (मी.एवं सं.) व्यक्तिगत रूप से किसी पत्रकार का अतिथि सत्कार करते हैं । जब भी मदिरा तथा धूम्रपान दिए जाएंगे तो इस पर होने वाला प्रति व्यक्ति खर्च क्रमशः कर सहित 120 रूपये तथा 30 रूपये तक सीमित होगा ।

9. महानिदेशक (मी.एवं सं.) इस अनुदान का उपयोग नियम 1 में दिए गए वर्ग के व्यक्तियों का अतिथि-सत्कार उस अवसर या उस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त तरीके से अपने घर पर या अन्यत्र कम औपचारिक ढंग से करने के लिए भी कर सकते हैं । लेकिन इसकी प्रतिपूर्ति लंच/डिनर के लिए 100 रूपये तथा रिसेप्शन/सायं पार्टी के लिए 50 रूपये की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी जिसमें मृदु पेय शामिल है लेकिन इसमें मादक पेय तथा धूम्रपान शामिल नहीं है । मादक पेय तथा धूम्रपान पर होने वाला खर्च जैसा की उपर्युक्त 8(2) में निर्धारित है, कर सहित क्रमशः प्रति व्यक्ति 120 रूपये तथा 30 रूपये की सीमा के अध्यधीन होगी ।

10. किसी वित्तीय वर्-ा में इस व्यय पर कुल उच्चतम सीमा पृथक उपशीर्-ा "अन्य प्रशासनिक खर्चे" अथवा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अन्य संगत लेखाशीर्-ा के अधीन अनुमोदित बजट प्रावधान होंगे । सरकार के अनुमोदन के बिना ये बजट प्रावधान विनियोजन द्वारा नहीं बढाए जाएंगे ।

11. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सरकारी प्रचार के हित में, जब भी आवश्यकता पड़े, किसी नियम/प्रावधान में छूट देने का अधिकार है ।